

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के हारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए यार्थिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति द्वारा बैठक 2018 में दी गई संरक्षित के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के दिनांक-05.06.2018 में दी गई संरक्षित के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालन-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालन-4 में अंकित कार्यालय से एकदृष्टा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०	कार्यालय का नाम एवं प्रदनाम	हरकान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अनुबंध
1	2	3	4	5
1	श्री कैलाश चन्द्र पन्त संख्या-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	जनहित

श्री कैलाश चन्द्र पन्त, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कैलाश चन्द्र पन्त, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भल्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डनालक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्णो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—५०१—

(डॉ००५०के०वमी)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1646 / स्था०-वर्ग-3/ स्थानान्तरण/ 2018-19 / दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री कैलाश चन्द्र पन्त, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 हारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कैलाश चन्द्र पन्त, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त लरते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस आशय से कि श्री कैलाश चन्द्र पन्त, वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी/ अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कौषलाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
08. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(I) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुगाम-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिनों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक 2018 दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

है—		वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अध्यक्षित
प्र०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम			
स०		वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अध्यक्षित
1	2	3	4	6
1	श्री प्रकाश चन्द्र छिंगाल स०क०३०वर्ग-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, समीखेत	जनहित

श्री प्रकाश चन्द्र छिम्याल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रकाश चन्द्र छिम्याल सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भरता देय होगा। निर्दर्शित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

रामचन्द्रित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विणडो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपन सार से लोगों को उपकरण प्रदान करें।

(डॉ०१००के०वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं ग्रामीण)
कृषि निदेशालय, उत्तरराज्यांड.

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः कृ०नि० / ६४७ / स्थान-वर्ग-३ / स्थानांपत्रा०/२०१८-१९ / दिनांक : १०/६ | २०१८

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्ति।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(I) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	बर्तग़ान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अध्यक्षित
1	2	3	4	6
1	श्री बहादुर सिंह नयाल स०क००३०वर्ग-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	जनहित

श्री बहादुर सिंह नयाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री बहादुर सिंह नयाल सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डबाये जाने या ग्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अभल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विंडो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—४०।—

(झ०४०क००मर्मी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 164Q / स्था०-वर्ग-३/ स्थानापत्रा०/ 2018-19 / दिनांक : 10/6/ 2018
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिणामार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री बहादुर सिंह नयाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी, को इस निर्देश के साथ कि ये अधिनियमानुसार श्री बहादुर सिंह नयाल वर्ग-3 को हिना प्रतिश्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस आशय से कि श्री बहादुर, सिंह नयाल वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल / चम्पावत।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संग्रहक कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्रविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक लोगों उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अनुचित
सं०	2	3	4	6
1	श्री मुकेश कुमार नौटियाल स०क०३०जर्न-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लौहिनगर।	जनहित

श्री मुकेश कुमार नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय ने योगदान कराना सुनिश्चित करे। श्री मुकेश कुमार नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण शाजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भेला देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने रत्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—४०।—

(डॉ०५०क००वमी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1649 / स्था०-वर्ग-3/ स्थानापत्रा०/ 2018-19/ दिनांक : | ० | ६ | 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देखित।

01. श्री मुकेश कुमार नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर, को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नौटियाल वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस आशय से कि श्री मुकेश कुमार नौटियाल वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर।
05. राज्यान्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुगाम-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्रविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की हैठल दिनांक-06.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार जोशी रामकृष्णवर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	जनहित

श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री मनोज कुमार जोशी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिसे हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के बिलद्वारा किसी प्रकार का दबाव ड़लाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्णो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०—

(डॉ०५०क००वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १५० /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस आशय से कि श्री मनोज कुमार जोशी वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक कुमारैयै मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-06.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में बर्णित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्युवित
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र जोशी स०क०३०वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नियासैण।	जनहित

श्री रमेश चन्द्र जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रमेश चन्द्र जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भल्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रत्युत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्णो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने रत्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०—

(डॉ०५०क००वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:- कृनि०/ 165 / स्था०-वर्ग-३/ स्थाना०पत्रा०/ 2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री रमेश चन्द्र जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल, को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी वर्ग-3 को बिना प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल सैण को इस आशय से कि श्री रमेश चन्द्र जोशी वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, मैनीताल / अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यौ भण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुमान-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्यथा
1	2	3	4	5
1	श्री बालम सिंह चौहान संख्या-30वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्पा	जनहित

श्री बालम सिंह चौहान, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवृत्ति नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री बालम सिंह चौहान सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भल्ता देख होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डालक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्णो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—२०।—

(डॉ०५०क००५०)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1652 / स्था०-वर्ग-३/ स्थाना०पत्रा०/ 2018-19 / दिनांक : 15/6/ 2018
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री बालम सिंह चौहान, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी, को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री बालम सिंह चौहान वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समधार्घि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्पा को इस आशय से कि श्री बालम सिंह चौहान वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
05. सम्बन्धित कोषधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक रथानान्तरण समिति की बैठक 2018 दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अम्भुवित
	2	3	4	6
1	श्री प्रमोद बाबू सकसेना स02030वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बांडेछीना	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भौमताल	जनहित

श्री प्रमोद याबू सकरैना, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रमोद याबू सकरैना सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भरता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दृश्या में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अगल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित भुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विणडो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चय करें।

-५०।-

(डॉ०१०के०वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कषि निदेशालय उत्तराखण्ड,

देहशास्त्र

प्रदर्शन संख्या : 1653 / स्थान-वर्ग-3 / स्थानांक प्राप्ति 2018-19 / दिनांक : 10/6/2018
पत्रांक:- क्र०नि०/

उन्निसीं उन्निसीं को परिपालनार्थ सद्वनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१०. श्री प्रमोद बाबू सक्सैना, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-३, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेझीना।

०१. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेझीना को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सक्सैना वर्ग-३ को

बिना प्रतिष्ठानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

०३. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि श्री प्रमोद बाबू सक्सैना वर्ग-३ की योगदान सूचना से निर्देशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

०४. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा / नैनीताल।

०५. सम्बन्धित कोषाधिकारी।

०६. संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हल्द्वानी।

०७. गाँड़ पत्रावली।

चप कृष्णनिदेशक,
(भानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृष्णनिदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(I) 2017 दिनांक-06.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवलों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक रथानान्तरण समिति ली बैठक दिनांक-06.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालग-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालग-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में रथानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश सिंह भण्डारी स०क०३०वर्ग-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	जनाहेत

श्री रमेश सिंह भण्डारी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रमेश सिंह भण्डारी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का रथानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें रथानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डालवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डालक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्टो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०/-

(डॉ०५०क००वमी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १६५४ /स्था०-वर्ग-३/स्थान०पत्रा०/२०१८-१९/ दिनांक : १०/६/ २०१८

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री रमेश सिंह भण्डारी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश सिंह भण्डारी वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से कि श्री रमेश सिंह भण्डारी वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. रायुवत कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हल्दानी।
07. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-06.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्धित प्रादिधानों के अन्तर्गत निदेशालय रत्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के लाभिकों को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय रो कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० रार०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन सिंह विष्ट स०क०३०वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	जगहित

श्री मोहन सिंह विष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री मोहन सिंह विष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण शाजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भूता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्टो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०।—

(डॉ०५०क००वमी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६५५ /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/२०१८-१९/ दिनांक : १५/६/ 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री मोहन सिंह विष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत, को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मोहन सिंह विष्ट वर्ग-3 को विना ग्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये एक सक्ताह के भीतर नये तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से कि श्री मोहन सिंह विष्ट वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक लुमावृं मण्डल हल्दानी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 ले द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में दर्जित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक 2018 में दी गई संरक्षिति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	श्री किशन सिंह दोषाद साठक०अ०वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	जनहित

श्री किशन सिंह दोषाद सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री किशन सिंह दोषाद सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विलङ्घ किसी प्रकार का दबाव डालवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—४०।—

(डॉ०५०क००वर्मी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1656 / स्था०-वर्ग-3/ स्थानापत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/11/ 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री किशन सिंह दोषाद, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री दोषाद वर्ग-3 को विना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से कि श्री किशन सिंह दोषाद वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यै मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संरक्षित के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रमांक सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अग्रिम
1	2	3	4	6
1	श्री बलबीर सिंह नेगी स०क०३०वर्ग-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	जनहित

श्री बलबीर सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवर्तित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री बलबीर सिंह नेगी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के पिलट्ट किरी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०—

(डॉ०५०क००वर्मी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६५७ / स्था०-वर्ग-३/ स्थाना०पत्रा०/ २०१८-१९/ दिनांक : १० | ६ | २०१८
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री बलबीर सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री बलबीर सिंह नेगी वर्ग-3 को बिना ग्रातिरथानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से कि श्री बलबीर सिंह नेगी वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पौडी।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी।
07. गार्ड पत्रावली।

१
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुमात-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राक्षिकानों के अन्तर्गत निदेशालय रत्तर पर गठित वार्षिक रथानान्तरण सभिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रमांक	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अग्रयुक्ति
1	2	3	4	6
1	श्री राम सिंह रावत सरकारी वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पार्वती	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटड्वार	जनहित

श्री राम सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री राम सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण शजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अगल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने रत्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—४०—

(दॉ०५०के०वमी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड.

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

१६५७

पत्रांक:- क०नि०/ /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री राम सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पार्वती।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पार्वती, को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राम सिंह रावत, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुद्धत करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटड्वार को इस आशय से कि श्री राम सिंह रावत वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकानों के अन्तर्गत निदेशालय तत्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-06.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायता कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एवंद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रमिक संख्या	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अप्युलित
1	2	3	4	5
1	श्री गिरेश चन्द्र परिहार संठीकोठवर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी	जनहित

श्री गिरीश चन्द्र परिहार सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्धारित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय गे योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गिरीश चन्द्र परिहार सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के दिरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लारी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

- 10 -

(डॉ०ए०क००वमी)

उप कष्णि निदेशक.

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कषि निदेशालय उत्तराखण्ड

देवराजन ।

पत्रांकः— कृ०नि० / 1659 / स्था०-वर्ष-३ / स्थाना०पत्रा०/ २०१८-१९ / दिनांक : १०/६/ २०१८
 प्रतिलिपि: प्रियमित्रित को प्रतिग्रन्थनार्थ सन्तुष्टार्थ पापं आवश्यक कर्त्तव्यादी देवा प्रेषित।

- श्री गिरीश चन्द्र परिहार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
 - कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री परिहार वर्ग-3 को दिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
 - कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी को इस आशय से कि श्री गिरीश चन्द्र परिहार वर्ग-3 की योगदान सूचना से निर्देशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
 - मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हल्द्वानी।
 - गाँई पश्चापली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(I) 2017 दिनांक-05.01.2018 ले द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुग्रह-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्धित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति ली बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के समुक्त अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	श्री जगन्नाथ सिंह यादव संख्या-30/XXX-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	जनहित

श्री जगन्नाथ सिंह यादव, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री जगन्नाथ सिंह यादव, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डालयक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

सन्दर्भित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—४०।—

(डॉ०५०के०वर्मी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1660 /स्था०-वर्ग-3/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री जगन्नाथ सिंह यादव, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री यादव वर्ग-3 को विना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सपातह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि श्री जगन्नाथ सिंह यादव, वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा / नैनीताल।
05. सन्दर्भित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक कुमायू मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-26.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अम्भुवित
1	2	3	4	6
1	श्री शिव प्रसाद गौड़ सं०क०३०वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	जनहित

श्री शिव प्रसाद गौड़, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री शिव प्रसाद गौड़, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उहाँसे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लायाए जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जननपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—६०१—

(डॉ०५०क००वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1661 /स्था०-वर्ग-3/स्थानापत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री शिव प्रसाद गौड़, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शिव प्रसाद गौड़, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यभुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से कि श्री शिव प्रसाद गौड़ वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल भण्डल पौड़ी।
07. गार्ड पत्रावती।

१०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय रतर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राम मोहन सिंह रावत सं0क०अ०वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	जनहित

श्री राम मोहन सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री राम मोहन सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

-६०।-

(डॉ०ए०क००वर्मी)
उप कृषि निदेशक,
(गानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1662 /स्था०-वर्ग-3/स्थानांपत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री राम मोहन सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावी।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राम मोहन सिंह रावत, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस आशय से कि श्री राम मोहन सिंह रावत वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पौडी/टिहरी गढ़वाल।
05. सम्बन्धित कोषधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(गानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दीवान सिंह मेहता संख्या-30/30वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी	जनहित

श्री दीवान सिंह मेहता, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री दीवान सिंह मेहता, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डालक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विष्णो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टॉ-

(डॉ०५०क००वर्गी)
उप कृषि निदेशक,
(गानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1663 /स्था०-वर्ग-3/स्थानापत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/2018
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री दीवान सिंह मेहता, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वाश कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मेहता वर्ग-3 को दिनांक 05.06.2018 की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी को इस आशय से कि श्री दीवान सिंह मेहता, वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को आवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा /नैनीताल।
05. सम्बन्धित लोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक लुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पञ्चावली।

उप कृषि निदेशक,
(गानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिनांकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्रमांक संख्या	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भैरवदत्त नैनवाल स०क०३०वर्ग-३	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	जनहित

श्री भैरवदत्त नैनवाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भैरवदत्त नैनवाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के बिलद्वंद्व किसी प्रकार का दबाव डालवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—६०—

(डॉ०५०के०वर्षी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:- क०ग्नि०/ 1664 /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : 10/6/ 2018
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री भैरवदत्त नैनवाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नैनवाल वर्ग-3 को बिना प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस आशय से कि श्री भैरवदत्त नैनवाल, वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, अस्सीडा / नैनीताल।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
07. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राधिकारों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक को उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में रतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तगान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	आयुर्वित
1	2	3	4	6
1	श्री हरीश चन्द्र कुकरेती संकृत वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	जनहित

श्री हरीश चन्द्र कुकरेती, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री हरीश चन्द्र कुकरेती, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०।—

(डॉ०५०के००मी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

**कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

पत्रांक:- कृनि०/ 1665 /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री हरीश चन्द्र कुकरेती, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री हरीश चन्द्र कुकरेती, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सत्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से कि श्री हरीश चन्द्र कुकरेती वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पौडी गढ़वाल।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी।
07. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के हारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक शेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राचिधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक लो उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अध्यक्ष
1	2	3	4	6
1	श्री योगेन्द्र सिंह चौहान संख्या-00अ०यर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार।	जनहित

श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आविट नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जन्मपद के अन्दर अपने रत्न से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—१८।—

(डॉ०ए०क००वमी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

1666

पत्रांक:- कृ०नि०/ /स्था०-वर्ग-३/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, वर्ग-3 को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से कि श्री योगेन्द्र सिंह चौहान वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़/पौडी।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौडी।
07. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
08. गाड़ पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुमान-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2)18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-26.06.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के कार्मिक लो उनके नाम के समुख अकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अस्फूर्यता
1	2	3	4	6
1 1	श्री दयानन्द निराला संकृतवर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीएस	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	जनहित

श्री दयानन्द निराला, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री दयानन्द निराला, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने वा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—८०।—

(डॉ०५०के०५०)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1667 /स्था०-वर्ग-3/स्थानापत्रा०/2018-19/ दिनांक : १०/६/ 2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्री दयानन्द निराला, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीएस।
02. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीएस को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री दयानन्द निराला वर्ग-3 को बिना प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
03. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस आशय से कि श्री दयानन्द निराला वर्ग-3 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
04. मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ /टिहरी गढ़वाल।
05. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
06. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
07. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
08. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।